श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा दिनांक 14.11.2014 (शुक्रवार) को 10.00 बजे पूर्वाहन् प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचालाधिकारी/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/सभी प्रखंड़ों के नोडल पदाधिकारी/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. **लोक सेवा का अधिकार**
   अनुपालन – श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	आर0टी0पी0एस0 काउंटर का औचक निरीक्षण	जिले के 23 प्रखण्ड सह अंचल के RTPS काउण्टरों का निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया था परन्तु मनेर, दानापुर, एवं घोसवरी के नोडल पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण नहीं करने पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित नोडल पदाधिकारी से कारण पृच्छा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	निर्धारित समय सीमा के पश्चात लंबित आवेदनों का निष्पादन	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पेंशन योजनान्तर्गत अथमलगोला में 18, बख्तियारपुर मे 41, बिहटा मे 21, मोकामा मे 39, पालीगंज मे 30, पण्डारक मे 23 एवं फुलवारी शरीफ में मे 15 में मामले लंबित है। कन्या विवाह योजना में 15 मामले पालीगंज मे लंबित है, जबकि, पारिवारिक लाभ का अथमलगोला में 11, बख्तियारपुर में 36, पालीगंज में 47 एवं पुनपुन में 12 मामले लंबित पाये गये। सभी लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि जिला से भेजे जा रहे दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक दिन लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे एवं कालबाधित आवेदनों के विरूद्ध SUO-MOTTO अपील दायर करेंगे।
3	सुमोटो अपील दायर करना।	SUO-MOTTO अपील में 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2014 तक दानापुर अनुमंडल में 241 अपील दायर किये गये हैं परन्तु अन्य किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा SUO-MOTTO अपील दायर नही किया गया। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि समय सीमा के पश्चात् अनिष्पादित मामलों को अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता SUO-MOTTO अपील में लाए एवं जिन पदाधिकारियों/कर्मियों पर दण्ड की राशि अधिरोपित है उनसे वसूल करने की कार्रवाई भी किया जाय। स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि जिले में अबतक कुल 220000/– रू0 दण्ड की राशि अधिरोपित की गयी

		है, जिसके विरूद्ध मात्र 22000/– रू0 की वसुली हो पायी है।
4	कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन	आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का औचक निरीक्षण एवं छापेमारी के क्रम में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के आलोक में कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश स्थापना उप समाहर्ता को दिया गया।
5	RTPS Monthly District Ranking	इस जिले का रैंकिंग 13वें स्थान पर है। जिला पदाधिकारी द्वारा इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया गया।
6	आई0टी0मैनेजर/ आई0टी0 सहायक/कार्यपालक सहायक के मानदेय भुगतान की स्थिति	आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि सितम्बर 2014 तक मानेदय का भुगतान किया जा चुका है एवं मार्च 2015 तक आवंटन उपलब्ध है।
7	आर0टी0पी0एस0 पंजी का संधारण	जिला पदाधिकारी द्वारा सेवा के अनुसार प्रखंड एवं अंचल में आर0टी0पी0एस0 से संबंधित पंजी संधारित करने का निदेश पूर्व में दिया जा चुका है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को पुनः निदेशित किया गया कि कार्यालय आते ही सर्वप्रथम आर0टी0पी0एस0 काउन्टर की जॉच करें एवं पंजी में लंबित संख्या अंकित कर हस्ताक्षर करें। यह भी निदेशित किया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी अपने प्रखंड/अंचल के आर0टी0पी0एस0 से संबंधित पंजी को अगली बैठक में लाना सुनिश्चित करेंगे।

2. **स्थापना शाखा**

अनुपालन :– श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	90 दिनों से पूर्व विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाय।	स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि कुल 13 मामले लंबित है। 07 मामलों में द्वितीय कारण पृच्छा पूछा जा चुका है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कारणपृच्छा प्राप्त होते ही आदेश हेतु उपस्थापित करेंगे। स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि 03 मामले में आरोपित कर्मी के जेल में रहने के कारण विभागीय कार्यवाही स्थगित रखी गयी है एवं 03 अन्य मामले में आदेश हेतु उपस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्रवाई से संबंधित सभी लंबित मामलों को समय सीमा के अन्दर निष्पादित करने का निदेश स्थापना उप समाहर्ता को दिया गया।
2	सेवानिवृत कर्मचारियों को माह के अंत में सेवानिवृत लाभों का	सेवा निवृत होने वाले कर्मियों के सेवांत लाभों की देयता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/

	देयता सुनिश्चित करना।	अंचलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ सिविल सर्जन/ जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। स्थापना उप समाहर्ता को इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि नवम्बर 2014 में जिला समाहरणालय के किसी शाखा में सेवानिवृति का मामला नहीं है। प्रखंड कार्यालय बेलछी, अंचल कार्यालय, मोकामा एवं अंचल कार्यालय, फुलवारीशीरफ में एक–एक कर्मी दिनांक 30.11.14 को सेवानिवृति होने वाले है। स्थापना उप समाहर्ता के पत्रांक 3020 दिनांक 20.11.14 से संबंधित प्रखंड एवं अंचल कार्यालय को सेवानिवृत होने वाले कर्मी का सेवान्त लाभ दिये जाने हेतु निदेश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सेवानिवृत होने वाले कर्मी को माह के अंत में सेवानिवृत लाभों का देयता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
3	रंगेहाथ पकड़े गए कर्मियों पर कार्रवाई :– क) स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि छः मामलों में से दो मामले ही लंबित है।	स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि कुल 07 मामले है, 04 मामलों में आरोपित कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। शेष 03 मामले में विभागीय कार्रवाई चल रही है।
4	अनुकम्पा समिति	लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

3. **जिला विधि शाखा**

अनुपालन :– श्री माधव कुमार सिंह वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सी0डब्लू0जे0सी0/ एम0जे0सी0 में प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर करना।	1) जिला/अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 के लंबित वादों में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा माननीय न्यायालय में दायर करने तथा दायर किए गए प्रतिशपथ पत्र से विधि शाखा के लंबित सूची का मिलान करने का निदेश दिया गया। उक्त संदर्भ में विशेष कैम्प आयोजित कर लंबित ऑकड़ों का मिलान करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेशित किया गया। 2) मानवाधिकार एवं लोकायुक्त के लंबित मामलों में शीघ्र जॉच कर जॉच प्रतिवेदन जिला विधि शाखा, पटना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। 3) सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 के लंबित वादों का गत बैठक के अनुसार तुलनात्मक विवरणी तैयार करने तथा लंबित वादों को अद्यतन करने का निदेश जिला विधि शाखा, पटना को दिया गया। **लंबित सभी मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने हेतु शपथ पत्र तैयार कर निर्धारित समय सीमा तक संबंधित सरकारी अधिवक्ता के यहाँ तथ्य विवरणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया**

4. **जिला जन शिकायत कोषांग**

अनुपालन :— श्रीमती ममता झा, प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषंग, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन / निदेश
1	पंजियों का संधारण	सभी जिला स्तरीय कार्यालय / प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय में कुल चार प्रकार के पंजी का संधारण किया जाय। यथा –मुख्यमंत्री जन शिकायत / सचिवालय एवं अन्य विभाग से प्राप्त जन शिकायत / आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जन शिकायत एवं जिला जन शिकायत। इन चारों पंजियों में अब तक के सभी अनिष्पादित आवेदन पत्रों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय।
2	लंबित आवेदन पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना।	सभी कार्यालय प्रभारी को निदेश दिया गया कि जन शिकायत से संबंधित सभी लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराना सुनिश्चित करेगें। जन शिकायत मामलों का कार्यालयवार लम्बित सूची प्रभारी, जन शिकायत कोषांग, पटना द्वारा सभी कार्यालय प्रभारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी कार्यालय प्रभारी उक्त सूची से अपने पंजियों का मिलान करते हुए उन्हें अद्यतन कर लेगें एवं निष्पादित मामलों का प्रतिवेदन जिला जन शिकायत कोषांग, पटना को ससमय उपलब्ध करा देगें। जो आवेदन पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, उनकी स्कैन छाया प्रति जिला जन शिकायत कोषांग से प्राप्त करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग अन्य कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परिवाद पत्रों को निष्पादित करेगें एवं अपलोड भी करेगें। जिला जन शिकायत कार्यालय द्वारा बैठक हेतु उचित ढंग से तैयारी नहीं किए जाने के कारण जिला पदाधिकारी के द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

5. **जिला कल्याण**

अनुपालन :— श्री पवन कुमार मिश्रा जिला कल्याण पदाधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन / निदेश
1	2	3
1	विभिन्न मदों में छात्रवृति का वितरण।	1) जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आवंटन प्राप्त हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से विद्यालयवार राशि की आवश्यकता से संबंधित सूचना की मॉग की गई है। सूची / सूचना प्राप्त होते ही आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सभी विद्यालयों को छात्रवृति वितरण हेतु राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। 2) जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति अंतर्गत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आवेदन देने की अंतिम तिथि 31.10.14 थी। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा डाटा इन्ट्री होने के पश्चात् सूची प्राप्त होते ही छात्रवृति वितरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

		अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 30.11.14 तक निर्धारित है। वर्ष 2014–15 में दोनों श्रेणियों में आवंटन प्राप्त है।
2	ए0सी0/डी0सी0 बिल का प्रेषण।	1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा, विक्रम, दानापुर, दनियावाँ, दुल्हिनबाजार, फतुहाँ, मनेर, मसौढ़ी, मोकामा, पालीगंज, पटना सदर, फुलवारी एवं पुनपुन प्रखण्ड से डी0सी0 बिल भेजने का अनुरोध जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया गया। 2) जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के ई–मेल पर लंबित डी0सी0 बिल की सूची उपलब्ध करा दी गई है। 3) जिलाधिकारी द्वारा लंबित योजना/डी0सी0 बिल की सूची वेवसाईट पर डालने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।
3	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम	जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को लंबित सूची भेज दिया गया है।
4	महादलित विकास निगम से संबंधित योजना की अद्यतन स्थिति	उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे।
5	दशरथ मॉझी कौशल विकास योजना से संबंधित प्रतिवेदन	उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे।
6	अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय	उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे।

6. <u>सामाजिक सुरक्षा</u>

अनुपालन :– श्री श्रुतिदेव नारायण, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	दिनांक 16.11.14 से 30.11.14 तक रोस्टर के अनुसार सुचारू ढंग से पेंशन वितरण करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। सहाकय निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा बताया गया कि जिला के बेवसाईट पर रोस्टर को अपलोड किया जा चुका है। निदेशित किया गया कि भिन्न–भिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाया जाय, ताकि एक ही स्थान पर अधिक भीड़ एकत्रित नहीं हो। यह भी निदेशित किया गया कि पेंशन वितरण का अभिश्रव समुचित ढंग से तैयार किया जाय।
2	पेंशनधारियों का डाटा बेस उपलब्ध कराना।	सभी पेंशनधारियों का legacy data अंग्रेजी में MS Excel Formate में उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया। उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे।

3	असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा योजना के निष्पादन से संबंधित चेक लिस्ट की जानकारी दी गई एवं चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख खोलकर अग्रेतर कार्रवाई का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया चेक लिस्ट निम्नवत है :— I. प्र0वि0पदा0 से प्राप्त विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन II. मृत्यु प्रमाण—पत्र की छायाप्रति III. एफ0आई0आर0 की छायाप्रति IV. प्रपत्र—1 (दुर्घटना सूचना प्रपत्र) V. प्रपत्र—2 (दावा पत्र) VI. मेडिकल जाँच प्रतिवेदन
3	प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना	1. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। 2. प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना का निष्पादन से संबंधित चेक लिस्ट निम्न है:— VII. प्र0वि0पदा0 से प्राप्त विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन VIII. मृत्यु प्रमाण—पत्र की छायाप्रति IX. एफ0आई0आर0 की छायाप्रति X. प्रपत्र—1 (दुर्घटना सूचना प्रपत्र) XI. प्रपत्र—2 (दावा पत्र) XII. मेडिकल जाँच प्रतिवेदन
	ए0सी0/डी0सी0 बिल का प्रेषण।	लंबित डी0सी0 बिल की सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। शीघ्र लंबित डी0सी0 बिल उपलब्ध कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

7. **जिला आपदा शाखा**

अनुपालन :— श्री मुकुल कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
01	ए0सी0/डी0सी0 विपत्र के समायोजन की स्थिति	लम्बित ए0सी0 विपत्र संख्या 135/2009 राशि—1.00 (एक लाख) रू0 के बारे में समीक्षा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा द्वारा बतलाया गया कि एक सप्ताह के अन्दर डी0सी0 विपत्र जमा कर दिया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा इसे सुनिश्चित करने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा को दिया गया।
02	मृतक अनुग्रह अनुदान से सम्बन्धित वितरण की स्थिति	(क) मृतक अनुदान से संबंधित मामलों में प्रखंड स्तर पर 15 दिनों में अभिलेख तैयार करने, अनुमंडल स्तर

		पर 7 दिनों में एवं जिला स्तर पर 7 दिनों में अभिलेख का निस्तार कर एक माह के अन्दर अनुदान की राशि संबंधित व्यक्ति को भुगतान करने का निदेश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह में मृतक अनुदान से संबंधित प्राप्त तीन अभिलेखों का निष्पादन कर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को सुधार कर शीघ्र भेजने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर एवं अंचलाधिकारी, खुशरूपुर को निदेशित किया गया। (ख) गाँधी मैदान हादसा में मृतकों से संबंधी अभिलेख स्वीकृति हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर से माँग की गयी है तथा घायलों से सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर से प्राप्त अभिलेख में अंचलाधिकारी, पटना सदर का प्रतिवेदन संलग्न नहीं रहने के कारण उन्हें प्रतिवेदन संलग्न करने हेतु निदेशित किया गया। (ग) गाँधी मैदान हादसा में मृत व्यक्तियों एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि का अविलम्ब वितरण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर को निदेशित किया गया। (घ) निजी अस्पताल में कराये गये चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी, पटना द्वारा निदेशित किया गया। (ङ) बाढ़ 2014 में मृतकों का अभिलेख तैयार कर अविलम्ब स्वीकृति हेतु जिला को भेजने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।
03	निजी नाव किराया भुगतान की स्थिति	बाढ़ प्रभावित अंचलों में चलाये गये नाव किराया का भुगतान जन संख्या निष्क्रमण मद आवंटन से दिनांक 30.11.2014 तक करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी को जिलाधिकारी, पटना द्वारा दिया गया। साथ ही जहां आवंटन की कमी है अधियाचना भेजने को कहा गया।

8. **जिला विकास**

अनुपालन :– श्री अविनाश कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन / निदेश
1	2	3
1	कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना	1) सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वर्ष 2014–15 के लिए प्रखंडवार प्राथमिकता सूची अनुशंसा के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से शीघ्र उपलब्ध कराएँ। इसके लिए पूर्व में भी निदेशित किया जा चुका है। उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे। 2) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किा गया कि अपने–अपने प्रखंड में क्रियान्वित कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना की समीक्षा कर अपूर्ण योजनाओं की सूची पूर्ण विवरण सहित जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। इस बात का अवश्य उल्लेख करेंगे

		कि योजना राशि के अभाव में अपूर्ण है अथवा अन्य किसी कारण से यदि राशि के अभाव में अपूर्ण है तो उक्त योजना को पूर्ण करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। 3) कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना के द्वारा बताया गया कि पटना सदर प्रखंड अंतर्गत गर्दनीबाग कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य भूमि विवाद के कारण बाधित है। जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना को निदेश दिया गया कि संबंधित मामले की जॉच कर अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ जॉच प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना द्वारा बताया गया कि मोकामा प्रखंड अंतर्गत कन्हाईपुर–1 एवं 2 एवं फतुहॉ प्रखंड अंतर्गत मौजीपुर कब्रिस्तान घेराबन्दी भाग–1 का कार्य अतिक्रमण के कारण बाधित है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, दानापुर के द्वारा बताया गया कि पालीगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत चंढ़ोस के ग्राम ढिबरा पर कब्रिस्तान का कार्य, पुनपुन प्रखंड अंतर्गत मौजी शेखपुरा में सरकारी स्कूल भवन बना हुआ है, पुनपुन प्रखंड अंतर्गत ही मौजा रसुलपुर में छावनीदार चबुतरा बना है, एवं पुनपुन प्रखंड अंतर्गत ही मौजा अब्दुलचक में भवन बना हुआ है। जिसके कारण कार्य बाधित बताया गया है। सभी संबंधित अंचलाधिकारी सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि विवाद से संबंधित मामलों के लिए शांति समिति गठित कर एवं संबंधित पक्षों से वार्ता कर विवाद को सुलझाने का निदेश दिया गया।
2	मुख्यमंत्री खेल योजना (पायका) का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन धनरूआ एवं मसौढ़ी को शीध्र उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3	जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री) की विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी0आर0डी0ए0, पटना/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला योजना पदाधिकारी, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/कार्य0 अभि0, पी0एच0ई0डी0, पटना पश्चिम एवं कार्य0 अभि0, ग्रा0 का0 वि0, का0 प्रमंडल, मसौढ़ी से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
4	ग्रामीण विकास विभाग की बेवसाईट पर प्रखंड की स्थायी परिसम्पति एवं भू–भाग की विवरणी अपलोड करना।	समीक्षा के क्रम मेंपाया गया कि किसी भी प्रखंड के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पुनः विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया एवं निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व प्रखंड की स्थायी परिसम्मपति एवं भू–भाग की विवरणी अपलोड किया जाय।

9. **जिला पंचायत शाखाा**

अनुपालन :– श्री पवन कुमार मंडल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	90 दिन से पूर्व पंचायत सचिवों के विरूद्ध संचालित विभागीय	90 दिन से पूर्व पंचायत सचिवों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जिलाधिकारी के स्तर से प्रस्तोता

	कार्यवाही को अंतिम रूप देना।	पदाधिकारी/संचालन पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
2	पंचायत सचिवों के मुख्यालय से संबंधित सूचना प्राप्त करना।	मात्र दो प्रखंड़ों, यथा–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलछी एवं पंडारक से सूचना प्राप्त है। शेष प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शीघ्र सूचना भेजने हेतु निदेशित किया गया।
3	पंचायत सरकार भवन का निर्माण।	1) पंचायत सरकार भवन के विवादित स्थलों की सूची संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को जॉच हेतु भेजने का निदेश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया।

10. **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण**

अनुपालन :– डॉ0 राजीव कुमार, उप विकास आयुक्त, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	इंदिरा आवास योजना	1) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विधायक को इन्दिरा आवास की सूची उपलब्ध कराने का पुनः निदेश दिया गया। 2) विभागीय निदेश के आलोक में दिनांक 15.11.14 को शतप्रतिशत लाभुकों का फण्ड ट्रॉन्सफर करने का निदेश दिया गया। 3) दिनांक 01.04.2004 से पूर्व के अनु0 जाति के लाभुकों का अधूरा/अपूर्ण आवासों की सूची जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना में भेजने का निदेश दिया गया।
2	एस0ई0सी0सी0 2011	उप विकास आयुक्त इसकी समीक्षा करेंगे।

11. **जिला परिषद कार्यालय**

अनुपालन :– डॉ0 राजीव कुमार, उप विकास आयुक्त, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	13 वें वित्त आयोग	13वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि के उपयोग हेतु दो–दो ऑगबाड़ी केन्द्रो का चयन कर अंचलाधिकारी 10 दिनों में प्रखण्ड को दे, इन चयनित केन्द्रों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनुकूलता का प्रमाण पत्र निर्गत करें एवं उसके उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समुचित राशि निर्गत करें। जिलाधिकारी द्वारा लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसे पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

12. **जिला सामान्य शाखा**

अनुपालन :– श्री माधव कुमार सिंह , वरीय उप समाहर्ता, सामान्य शाखा, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	सिनेमा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति नवीरकरण या रद्दीकरण संबंधी प्रगति प्रतिवेदन	पटना जिलान्तर्गत कुल सिनेमा हॉलों की सं0–20 है, जिसमें दो सिनेमा हॉलों का पुर्ननिर्माण कार्य चल रहा है। तीन सिनेमा हॉलों का नवीकरण वर्ष 2014 तक किया जा चुका है। 15 सिनेमा हॉलों के नवीकरण हेतु सभी तकनीकी पदाधिकारियों से प्रतिवेदन की मॉग की गई है। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सिनेमा हॉल की जॉच हेतु जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संचिका भेजी गई है।
2	चौकीदार का अद्यतन वेतन	सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला से प्राप्त की गई दूरभाष से माह अक्टूबर 2014 तक वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
3	स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पेंशन	स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रितों एवं विधवाओं को जीवन कालीन अवशेष राशि की भुगतान 10 (दस) आश्रितों को तथा राज्य स्तरीय पेंशन की स्वीकृति का दो भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिंचाई भवन, सचिवालय शाखा के एक विधवा आश्रितों को केन्द्रीय

	योजना	राजस्व से प्राप्त पेंशन को चालु कराई गयी है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनकालीव अवशेष राशि एवं राज्य स्तरीय पेंशन स्वीकृति अनु0 पदा0 से जॉच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य तथा अनुशंसा के साथ मॉग किया गया है।
4	अनुकम्पा समिति	कुल 14 चौकीदार के मृत्योपरान्त उनके आश्रित पुत्र को नियुक्ति हेतु चेक लिस्ट पर जिलाधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अनुकम्पा समिति की बैठक में नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा।

13. **जिला राजस्व**

अनुपालन :– श्री मनोज कुमार झा, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	कार्य बिन्दु	अनुपालन / निदेश
1	2	3
1	महादलित	1) अंचलाधिकारी, पटना सदर को मो0–20574522/– रू0 मात्र। 2) अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ को मो0 20767710/– रू0 मात्र। 3) अंचलाधिकारी, दानापुर को मो0–5361056/– रू0 जमीन क्रय का महादलित परिवार को बसाने हेतु आवंटन की गई है। आवश्यकतानुसार अधियाचना प्राप्त होने पर राशि उपलब्ध कराया जायेगा। गैरमजरूआ आम/खास भूमि में 50 प्रतिशत महादलितों का नाम जोड़ने हेतु समाहर्ता महोदय द्वारा निदेश दिया गया है। क) अचंलाधिकारी, मनेर द्वारा 14 महादलित परिवार (ख) अंचलाधिकारी, नौबतपुर में 20 परिवार एवं 49 परिवार एवं 49 परिवार का लघु सिंचाई विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। (ग) अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार में 14 परिवार का प्रस्ताव है। सभी अंचलाधिकारियों को समाहर्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
2	कम्प्यूटराईजेशन	समाहर्ता, महोदय ने सभी अंचलाधिकारियों को कम्प्यूटराईजेशन काग्र का संपादन यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। अंचला कार्यालय, पटना सदर/सम्पतचक/बेलछी/पुनपुन/दानापुर/मनेर/बिक्रम/दुल्हिनबाजार/खुशरूपुर/दनियावॉ/अथमलगोला /बख्तियारपुर/ मोकामा/मसौढ़ी/धनरूआ एवं पालीगंज के अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि तैयार चालू खतियान कम्प्यूटराईजेशन की प्रति अविलम्ब भेजा जाय एवं शेष कम्प्यूटराईजेशन कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लें।
3	ऑपरेशन दखल कब्जा	सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला को समाहर्ता महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि गैरमजरूआ आम/मालिक, सिलिंग की जमीन क्रय कर बन्दोबस्ती की गई है, जिसका पर्चा निर्गत है, का सूचिबद्ध कर यथाशीघ्र भेजा जाय। भूदान सिलिंग की जमीन वासगीत पर्चा निर्गत है, को अविलम्ब दखल–कब्जा दिलाया जाय। प्रपत्र–1 का कार्य किसी भी अंचल का पूर्ण नहीं है। इस संदर्भ में कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए समाहर्ता महोदय द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर, पालीगंज एवं फतुहॉ का एक–एक दिन का वेतन अवरूद्ध रखने का निर्देश दिया गया।
4	कैम्प	समीक्षा के दरम्यान समाहर्ता महोदय द्वारा पृच्छा की गई कि कैम्प किन–किन अंचलों में की गई। 32 एकड़ जमीन जोत अवाद के लिए दिया गया है, जिसके लिये 42 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। जमीन पतलापुर में है, आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था या नही ? बाढ़ अंचल में 12 आवेदन पत्र प्राप्त है, का सरकारी जमीन का पर्चा निर्गत है। मुटेशन कैम्प पंचायत भवन सरकार का कलस्टर है, में एक साथ 5–5 पंचायत का एकसाथ किया जाय एवं बेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय।
5	सी0डब्लू0जे0सी0	समीक्षा के दौरान समाहर्ता महोदय ने सभी पदाधिकारियों को पॉच से अधिक सी0डब्लू0जे0सी0 लंबित है, को अविलम्ब कारण पृच्छा दायर करने का निदेश दिया गया है।
6	एम0जे0सी0	अंचलाधिकारी, दानापुर एवं मसौढ़ी को निदेशित किया गया कि एम0जे0सी0 संबंधित वादों का निष्पादन हेतु अविलम्ब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
7	एल0पी0ए0	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को समाहर्ता महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि एल0पी0ए0 से संबंधित वादों का कारण पृच्छा माह नवम्बर तक दायर करने हेतु निदेश दिया गया है।
8	पावर सब–स्टेशन	अंचलाधिकारी, धनरूआ/बख्तियारपुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ को समाहर्ता महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि सभी लंबित पावर सब–स्टेशन की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अविलम्ब किया जाय।

- उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिए गए निदेशों का कार्य बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की हॉर्ड एवं सॉफ्ट कॉपी बैठक के एक सप्ताह पूर्व जिला विकास शाखा, पटना में उपलब्ध कराएंगे।

- सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रधान लिपिक के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे।

अतं में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

24/11

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 2236, पटना, दिनांक 24.11.14

प्रतिलिपि :— सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रखंडों के मेंटर पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई0टी0 प्रबंधक, पटना को सूचनार्थ एवं **बेवसाईट पर अपलोड** करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर समाहर्ता / अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच) / उप विकास आयुक्त / निदेशक, लेखा प्रशासन / सिविल सर्जन / जिला भविष्य निधि पदाधिकारी / जिला पंचाचत राज पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन / जिला योजना पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी / जिला अल्पसंख्यककल्याण पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सुश्री रंजीता, भा0प्र0से0, सहायक समाहर्ता–सह–सहायक दण्डाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/11

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 2236, पटना, दिनांक 24.11.14

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

24/11

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी, पटना।